

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

**विषय - केन्द्रीय सरकार के देश भर में स्थित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आम भारतीय नागरिकों के लिए हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना (वर्ष 2018-19)**

राजस्व विभाग में आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क तथा नारकोटिक्स से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। योजना की विस्तृत रूपरेखा निम्न प्रकार है:-

1. **योजना का उद्देश्य** - निर्धारित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन प्रदान करना।
2. **विषय** - आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क तथा नारकोटिक्स से संबंधित विषयों पर हिन्दी भाषा में मौलिक पुस्तक लेखन।
3. **पात्रता** - केन्द्रीय सरकार के देश भर में स्थित सभी कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी तथा सभी भारतीय नागरिक इन योजनाओं में भाग ले सकते हैं। मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष/सदस्य इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
4. **पुरस्कार की धनराशि** - योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे-

प्रथम पुरस्कार (एक) - ₹0 50,000/- (पचास हजार रुपये)

द्वितीय पुरस्कार (एक) - ₹0 40,000/- (चालीस हजार रुपये)

5. **मूल्यांकन समिति** -

- I. योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों/पांडुलिपियों पर पुरस्कार का निर्णय लेने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। अपर सचिव(राजस्व) इसके अध्यक्ष होंगे। आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क तथा नारकोटिक्स विषयों से संबंधित दो अथवा तीन विशेषज्ञ, तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अथवा/एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित संयुक्त सचिव (प्रशासन) इसके सदस्य होंगे तथा निदेशक(राजभाषा) इसके सदस्य सचिव होंगे।
- II. संबंधित विषयों के विशेषज्ञ पुस्तकों/पांडुलिपियों का अलग-अलग अध्ययन करके अपनी-अपनी सिफारिश देंगे।



- III. मूल्यांकन समिति की बैठक में इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और पुरस्कारों का निर्णय लिया जाएगा ।
- IV. मूल्यांकन समिति की बैठक में विधिवत निर्णय लिए जाने के पश्चात ही पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी ।


6. **पुस्तक/पांडुलिपि के लेखन काल की अवधि** - योजना के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकें/पांडुलिपियाँ 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान प्रकाशित/लिखी होनी चाहिए । पुस्तकें/पांडुलिपियाँ 31 जुलाई, 2019 तक संयुक्त निदेशक(राजभाषा), राजस्व विभाग के पास अवश्य पहुंच जानी चाहिए ।

7. **सामान्य शर्तें** - योजना में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा तथा वे निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगे:-

- I. योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए केवल उन्हीं पुस्तकों पर विचार किया जाएगा जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हो । अनुदित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- II. योजना के अधीन प्रकाशित पुस्तक और पांडुलिपि दोनों ही स्वीकार की जाएंगी । लेखकों द्वारा प्रकाशित पुस्तक/पांडुलिपि निर्धारित अवधि के दौरान ही लिखी/प्रकाशित होनी चाहिए ।
- III. लेखक संलग्न प्रपत्र में अपने आवेदन-पत्र के साथ पुस्तक/पांडुलिपि की छः प्रतियां निदेशक (राजभाषा), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, कमरा सं0 264-ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को निर्धारित तारीख तक अवश्य भेज दें । प्राप्त पुस्तकों/पांडुलिपियों को लौटाया नहीं जाएगा।
- IV. आवेदन पत्र के साथ आवेदनकर्ता को पासपोर्ट आकार के अपने दो फोटो भेजने होंगे ।
- V. निर्धारित तारीख के पश्चात प्राप्त पुस्तकों को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा । पुस्तक के डाक में खो जाने एवं देर से प्राप्त होने के लिए राजस्व विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- VI. पुरस्कृत पुस्तकों पर लेखकों का कॉपीराइट बना रहेगा ।
- VII. पुस्तक किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत न लिखी गई हो ।
- VIII. किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस योजना के तहत पुरस्कारों की घोषणा से पहले पुस्तक को किसी भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित राज्य की किसी अन्य पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है, तो लेखक को इसकी सूचना तत्काल राजस्व विभाग को देनी होगी ।
- IX. लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों व तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में, जहां-जहां आवश्यक है, संदर्भ देंगे ।
- X. यदि पुस्तक/पांडुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की धनराशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।



- XI. राजस्व विभाग को इस योजना को संशोधित करने का, पुरस्कृत किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन और इस प्रकार के चयन को विनियमित करने का अनन्य अधिकार होगा ।
- XII. पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा इसकी प्रक्रिया के संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।
- XIII. अपर सचिव(राजस्व)/संयुक्त सचिव(प्रशासन) अपनी ओर से भी किसी पुरस्कार को मूल्यांकन समिति के समक्ष विचारार्थ रख सकते हैं ।
- XIV. पुरस्कृत व्यक्ति को नकद पुरस्कार तथा एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा और उसे उस प्रमाण पत्र की प्रति पुस्तक के अगले संस्करणों में मुद्रित करवानी होगी ।
- XV. पुरस्कृत लेखकों को पुरस्कारों के बारे में विधिवत जानकारी दी जाएगी ।



(डॉ. सतीश चन्द्र)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

दूरभाष: 2309 2499

प्रतिलिपि:-

1. राजस्व विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
2. राजस्व विभाग के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में भी परिचालित करें ।
3. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
4. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
5. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
6. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय
7. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग - अनुरोध है कि इस योजना को अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित करें ।
8. तकनीकी निदेशक, एन आई सी, वित्त मंत्रालय - अनुरोध है कि इस परिपत्र को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कराएं और मुख्य पृष्ठ पर इसका लिंक उपलब्ध कराएं ।



आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क तथा नारकोटिक्स से संबंधित विषयों  
पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना (वर्ष 2018-2019)

फोटो

1. (क) लेखक/लेखिका का नाम :

(ख) पदनाम :

(ग) पता :

2. पुस्तक का नाम:

3. पुस्तक का विषय:

4. प्रकाशक का नाम, पता व प्रकाशन का वर्ष:

5. पुस्तक लिखने का कार्य सम्पन्न करने की तिथि(माह-वर्ष):

6. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि:-

(1) ----- पुस्तक मेरी मौलिक रचना है ।

(2) उक्त पुस्तक----- अवधि के दौरान लिखी गई/प्रकाशित हुई है।

(3) मेरी उक्त पुस्तक का विषय मेरे द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य से संबंधित है।

(4) यह पुस्तक किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत नहीं लिखी गई है/पुरस्कृत नहीं है ।

स्थान :

दिनांक:

लेखक के हस्ताक्षर

दूरभाष :

ई-मेल :